

अधिसूचना

राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम, 1959 (राजस्थान अधिनियम 42 सन् 1959) की धारा 11 के साथ पठित राजस्थान प्रन्यास नियम, 1962 के नियम 4 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्वारा निम्नांकित को पांच वर्ष की अवधि के लिए 'राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास मण्डल' का सदस्य नियुक्त करती है :-

हिन्दू:

1. श्री शिव दयाल शर्मा
2. श्री नितेश शर्मा
3. श्री शान्तिलाल गुर्जर
4. श्री रामगोपाल शर्मा
5. श्री अशोक कडवासरा
6. श्री अम्बिका प्रकाश पाठक
7. श्री हरिप्रसाद शर्मा पुत्र स्व. श्री मन्नालाल शर्मा
8. श्री राजकुमार चतुर्वेदी पुत्र श्री भरत कुमार शर्मा

जैन:

1. श्री गणपत बांठिया
2. श्री जीवनधर जैन

श्री शिव दयाल शर्मा राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास मण्डल के सभापति होंगे तथा आयुक्त, देवस्थान विभाग सदस्य सचिव होंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

↑

(कर्ण सिंह गोठवाल)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, देवस्थान विभाग।
3. निजि सचिव, शासन सचिव, देवस्थान विभाग।
4. आयुक्त, देवस्थान विभाग राजस्थान, उदयपुर को 18 अतिरिक्त प्रतियों सहित सदस्यों को भिजवाने हेतु।
5. निदेशक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।
6. समस्त सदस्यगण।
7. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, राजस्थान, जयपुर को राजस्थान राजपत्र में प्रकाशनार्थ।
8. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव